(3) "The King Can do no wrong" Explain this statement in the light of British Constitution.

सैद्धांतिक दृष्टि से सम्राट की जिन शक्तियों का उल्लेख किया गया है, व्यवहार में उन शक्तियों का प्रयोग सम्राट द्वारा नहीं, वरन् केबीनेट द्वारा ही किया जाता है। ब्रिटेन में संसदीय शासन-व्यवस्था है। सम्राट कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान है और वास्तविक रूप में शासन की शक्तियों का प्रयोग मंत्रीगणों द्वारा किया जाता है, सम्राट द्वारा नहीं। ब्रिटिश सम्राट के संबंध में कहा जाता है - "सम्राट कोई गलती नहीं कर सकता।" इस कथन का अर्थ है कि सम्राट को किसी कार्य के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। उसके नाम पर किए हुए किसी कार्य के लिए कोई मंत्री या पूरी मंत्रीपरिषद् उत्तरदायी होगी। अंतिम रूप में इसका मतलब यह है कि सम्राट स्वविवेक से, गलत या सही, कोई भी कार्य नहीं कर सकता है। इसे निम्न रूप से समझा जा सकता है -

Scanned with CamScanner

(1) सम्राट कानून के ऊपर है — राजा कानून के ऊपर होता है और उसके विरुद्ध कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकती। वह न्यायालयों के क्षेत्राधिकार से मुक्त है और उसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में दीवानी या फौजदारी केस नहीं चलाया जा सकता। कानून की दृष्टि में राजा कोई अपराधी नहीं हो सकता। उसे किसी भी कार्य के लिए, चाहे वह हत्या क्यों न हो, न्यायालय के समक्ष दोषी नहीं ठहराया जा सकता।

(2) सम्राट सार्वजनिक कार्यों के लिए दोषी नहीं हो सकता — सम्राट कोई भी कार्य स्वविवेक से नहीं करता, उसके द्वारा अपने सभी कार्य केबिनेट के परामर्श से ही किये जाते हैं। स्वाभाविक रूप में सम्राट के नाम से किये गये कार्यों के लिए सामूहिक रूप से केबिनेट या व्यक्तिगत रूप से संबंधित मंत्री ही उत्तरदायी है, स्वयं सम्राट नहीं।

(3) असंवैधानिक कार्य के लिए सम्राट के नाम पर किसी को मुक्ति नहीं मिल सकती — कोई भी व्यक्ति अपने असंवैधानिक कार्य के लिए सम्राट के नाम पर मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकता। इसका सीधा अर्थ है कि जब सम्राट स्वयं कोई गलती नहीं कर सकता तो उसके द्वारा किसी को गलती करने के लिए अधिकृत भी नहीं किया जा सकता। कोई भी मंत्री अपने द्वारा किये गये अवैध कार्यों के लिए सम्राट के आदेशों की शरण नहीं ले सकता है।

सम्राट की स्थिति — वास्तविक प्रशासन में सम्राट एक निष्क्रिय इकाई नहीं है। ब्रिटिश राज्य का प्रमुख होने के नाते ब्रिटिश राज्य और जनता के हितों की रक्षा करना उसका पवित्र कर्तव्य है और अपने इस कर्तव्य को पूरा करने के लिए उसके द्वारा निरंतर अपने प्रभाव का उपयोग किया जाता है। सम्राट व्यक्तिगत रूप से कुछ ऐसे कार्यों का सम्पादन करता है जिन्हें अन्य कोई नहीं कर सकता। वह विदेशी राजदूतों का स्वागत करता है, पियर नियुक्त करता है, उपाधियां देता है और सिंहासन भाषण देता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति और लोक सदन का विघटन भी वही करता है। यद्यपि इन कार्यों में उसकी शक्ति नहीं के बराबर है, लेकिन कुछ दशाओं में वह अपने विवेक से कार्य कर सकता है और व्यवहार में ऐसा किया भी गया है।

इस प्रकार कहा जा सकता है कि यद्यपि सम्राट शक्तिहीन है, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री के चुनाव तथा अन्य कुछ बातों में विशेष परिस्थितियों के अंतर्गत उसके द्वारा प्रभाव का उपयोग किया जाता है।

Scanned with CamScanner

Q: "अमेरिकी सिनेट विश्व की सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन है।"
टिप्पणी करें।

Ans: अमेरिकी सिनेट विश्व की श्रेष्ठतम राजनीतिक संस्थाओं में से एक है। इसके प्रमुख कारण हैं—

(1) संविधान-निर्माताओं द्वारा सीनेट को प्रदत्त महत्वपूर्ण स्थान → संविधान-निर्माता सीनेट को महत्वपूर्ण स्थिति प्रदान करना चाहते थे। अत: सीनेट को प्रतिनिधिसभा की विधायी शक्ति और राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति दोनों पर ही अंकुश लगाने का अधिकार प्रदान किया गया है।

(2) सीनेट की विशेष शक्तियाँ → संविधान और परंपराओं के आधार पर सीनेट को कुछ ऐसी शक्तियाँ प्राप्त हैं जो विश्व की किसी भी विधायिका के द्वितीय सदन को प्राप्त नहीं है। कानून-निर्माण के

क्षेत्र में सीनेट प्रतिनिधि सभा के समकक्ष है और यह बात न केवल साधारण विधेयकों वरन् वित्तीय विधेयकों के संबंध में भी सत्य है। सीनेट को नियुक्तियों की पुष्टि और संधियों की पुष्टि की दो ऐसी शक्तियाँ प्राप्त हैं, जिनके आधार पर सीनेट कार्यपालिका क्षेत्र में राष्ट्रपति की साझेदार बन गयी है।

(3) मंत्रिमंडलात्मक पद्धति का अभाव → अमरीका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था होने के कारण कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं है और प्रतिनिधि सभा को कार्यपालिका पर नियंत्रण की कोई शक्ति प्राप्त नहीं है।

(4) प्रत्यक्ष निर्वाचन - ब्रिटेन की लॉर्ड सभा और भारत की राज्य सभा क्रमशः में मनोनयन या अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है जिसके कारण इन्हें कम महत्त्व प्राप्त है। वहीं सीनेट सदस्यों का प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है।

(5) सीनेट का स्थायित्व और सीनेट सदस्यों का दीर्घ कार्यकाल → सीनेट सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का है, जबकि प्रतिनिधि सभा का 2 वर्ष। प्रतिनिधि सभा के सदस्य एक बार निर्वाचित होने के लगभग तुरंत बाद ही पुनः निर्वाचन की चिंता में लग जाते हैं। वहीं सिनेट सदस्य एक बार निर्वाचित होने के बाद लगभग 5 वर्ष तक स्वतंत्रतापूर्वक राष्ट्रीय सेवा में लगे रहते हैं। पुनर्निर्वाचन पर कोई प्रतिबंध न होने के कारण अनेक सदस्य 18, 24, 30 वर्ष या इससे भी अधिक समय तक सदस्य रहते हैं। दीर्घ अनुभव के कारण ये अमरीकी राजनीति में विशिष्ट स्थान बना लेते हैं।

(6) सीनेट का लघु आकार → इसकी सदस्य संख्या 100 है। छोटे आकार के कारण इसके सदस्यों में पारस्परिक घनिष्ठता रहती है और वे स्वतंत्रतापूर्वक वाद-विवाद कर पाते हैं।

(7) सीनेट सदस्यों में संस्था के प्रति सम्मान और परस्पर एकता → सीनेट सदस्य अपनी संस्था के प्रति सम्मान भाव रखते हैं। जब राष्ट्रपति द्वारा सीनेट की परंपराओं का उल्लंघन किया जाता है तो सभी सदस्य अपने राजनीतिक दल के प्रति भक्ति को भूलकर सीनेट के सम्मान की रक्षा हेतु एक हो जाते हैं।

(8) सीनेट सदस्यों की गुणात्मक उच्चता → सीनेट कार्यपालिका शक्तियों में राष्ट्रपति की सहभागी है, इस कारण शासन तंत्र में उसका स्थान महत्वपूर्ण है। गवर्नर, उपराष्ट्रपति तथा राष्ट्रपति बनने के लिए सीनेट सबसे महत्वपूर्ण सीढ़ी है। सीनेट सदस्यों के वक्तव्य (भाषण) समाचारपत्रों में शीर्ष स्थान पाते हैं। अतः सीनेट के थोड़े से स्थान में अमरीका के प्रतिभाशाली व्यक्तियों का अधिकांश भाग समाया रहता है।